"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2012—चैत्र 8, शक 1934

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-292/7-3/2011.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-292/सात-3/2011, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

**उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—**

**1. अनुसूची के सरल क्रमांक 3 के कॉलम क्रमांक (4) के शीर्षक "नवीन जिला" से संबंधित प्रविष्टियों में, शब्द "बलौदाबाजार" के पश्चात् "-भाटापारा" जोड़ा जाये.**

**2. अनुसूची के सरल क्रमांक 9 के कॉलम क्रमांक (4) के शीर्षक "नवीन जिला" से संबंधित प्रविष्टियों में, शब्द "बलरामपुर" के पश्चात् "-रामानुजगंज" जोड़ा जाये.**

Raipur, the 28th March 2012

NOTIFICATION

No. F-6-292/7-3/2011.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in the departments' Notification No. F-6-292/Seven-3/2011, dated 27th December, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said notification,—

1. In the entries relating to column number (4) of serial No. 3 of the Schedule, bearing heading "New District", after the word "Balodabazar" the word "-Bhatapara" shall be added.

2. In the entries relating to column number (4) of serial No. 9 of the Schedule, bearing heading "New District", after the word "Balrampur" the word "-Ramanujganj" shall be added.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. निहालानी,** उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.